न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 25/2018

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थीगण–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		1. गिरीश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति सिन्धी निवासी कल्याणपुरा मार्ग न0 2 बाड़मेर (बाड़मेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार महावीर नगर बाड़मेर फर्म मुनिम) 2. सुनिल बाना पुत्र जिया राम बाना निवासी लक्ष्मी नगर बाड़मेर (बाड़मेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार महावीर नगर बाड़मेर फर्म का मैनेजर एण्ड सोल प्रोप्राइटर) 3. सवाई राम पुत्र लाभू राम निवासी कृष्णा नगर, बेरियों का वास, बाड़मेर (मैसर्स रिद्धि सिद्धी एण्टर प्राईजेज सरदार पुरा, कृष्णा नगर बाड़मेर फर्म का सोल प्रोप्राइटर) 4. जितेन्द्र कुमार सोनी पुत्र सत्यनारायण सोनी निवासी विश्वकर्मा नगर, भद्रवासीया, जोधपुर (मैसर्स दिलिप सेल्स, गायत्री नगर, माता का थान, जोधपुर फर्म का सोल प्रोप्राइटर) 5. धर्मेन्द्र हंसराज कोटेक नोमिनी मैसर्स नेस्ले इण्डिया लिमिटेड केयर ऑफ मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सी ई–168 रोड न0 9 जे वि के आई एरिया बनी पार्क जयपुर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सम्पतराज बोथरा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:47:58 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 30.03.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा और

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की फर्म **बाड़मेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार महावीर नगर बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **04.06.2015** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **प्रोप्राइटर फूड इन्स्टेन्ट नूडल ब्राण्ड मेगी (320 ग्राम)** जो कि 50 पैकेटों में रखा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल 8 पैकेट **प्रोप्राइटर फूड इन्स्टेन्ट नूडल ब्राण्ड मेगी (320 ग्राम)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–538** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **प्रोप्राइटर फूड इन्स्टेन्ट नूडल ब्राण्ड मेगी (320 ग्राम)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **प्रोप्राइटर फूड इन्स्टेन्ट नूडल ब्राण्ड मेगी (320 ग्राम)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** व **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जरिये नोटिस दिनाँक 23.06.2015 द्वारा सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रारम्भिक आपत्ति में निवेदन किया गया कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के विरूद्ध निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला से नमूने की पुनः जांच करने हेतु अप्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:47:58 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

नोटिस व अवसर प्रदान नहीं किया जाकर प्रार्थी द्वारा यह प्रकरण पक्षपातपूर्ण दर्ज करवाया है। इसी प्रकार प्रार्थी जिनके द्वारा उक्त उत्पाद का नमूना लिया गया है, स्वयं भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की निर्धारित अर्हता नहीं रखता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के उक्त खाद्य उत्पाद का गैर–मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से जाँच कराई गई है तथा उक्त प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण चलाया जाना विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत करने से पूर्व अप्रार्थी संख्या 5 को धारा 46(4) का अवसर प्रदान नहीं करना अधिनियम के बाध्यकारी प्रावधानों का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा पदाभिहित अधिकारी द्वारा भी उक्त परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत करने की स्वीकृति कानूनी तरीके से प्रदान नहीं की जाकर त्रुटि कारित की है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की फर्म से लिए गए नमूने को अवमानक व मिथ्याछाप पाए जाने के जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा परिवाद में उक्त खाद्य पदार्थ में प्राकृतिक रंग केरामल मिलाए जाने के कारण अवमानक माना है, जबकि निदेशक (उत्पाद अनुमोदन) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अप्रार्थी के उक्त खाद्य पदार्थ की उत्पाद अनुमोदन (Product Approval) दिनाँक 09.07.2013 में अनुमत प्राकृतिक रंग एवं केरामल मिलाए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा उक्त उत्पाद मिथ्याछाप पाए जाने के जवाब में निवेदन किया कि मेगी नूडल टेस्ट मेकर सहित एक एकल एवं सम्मिलित उत्पाद होने से इसे मिथ्याछाप होना नहीं माना जा सकता है। मेगी नूडल के पैकेट पर इसके आन्तरिक भाग में खाद्य पदार्थ के साथ रखे गए टेस्ट मेकर के पाउच की सामग्री का पृथक से पाउच पर उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि उत्पाद के बाहरी पैकिंग पर मुद्रित लेबल में उसका उल्लेख कर दिया गया है। यह टेस्ट मेकर का पाउच पृथक से बाजार में विक्रय नहीं किया जाता तथा इस आशय की सूचना भी टेस्ट मेकर के पाउच पर मुद्रित है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा निर्मित उत्पाद किसी भी रूप में गुणवत्ता के मानक पर अवमानक एवं लेबलिंग एण्ड पैकिंग विनियमन के प्रावधानों के अन्तर्गत मिथ्याछाप की श्रेणी में नहीं आता है। खाद्य विश्लेषक,

Signature Not Verified
Digitally signed by: Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:47:58 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा अप्रार्थी के उत्पाद की जाँच उपरान्त दी गई राय पूर्णतया शंका एवं अनुमान पर आधारित है, जिसकी खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों से कोई प्रासंगिकता नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज योग्य है।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **17.06.2015** की प्रति अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उनके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद मे प्रतिरक्षण के रूप में जवाब प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 5 ने इस संबंध में आपत्ति प्रकट की है कि खाद्य नमूना की जाँच रिपोर्ट पर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस संबंध में अधिनियम की धारा 46 की उप–धारा (4) का अवलोकन करने से पाया जाता है कि खाद्य विश्लेषक से प्राप्त रिपोर्ट के विरूद्ध पदाभिहित अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। हस्तगत प्रकरण में खाद्य विश्लेषक से प्राप्त रिपोर्ट की सूचना अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये पंजीबद्ध डाक भिजवाई गई है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा इस नोटिस के जवाब में पदाभिहित अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, जिस पर प्रार्थी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है। जहाँ तक अप्रार्थी संख्या 5 का कथन है कि उसे उक्त खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट की सूचना नहीं दी गई तो जब अप्रार्थी संख्या 5 के उत्पाद के खुदरा विक्रेता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को विधिवत सूचना दी गई है तो यह अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का व्यापारिक संव्यवहार के अन्तर्गत दायित्व है कि वे

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:47:58 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

खाद्य पदार्थ, जो उनके द्वारा विक्रय किया जा रहा है, के निर्माता को उसकी गुणवत्ता रिपोर्ट से सूचित करावें। अप्रार्थी संख्या 5 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में खाद्य पदार्थ का नमूना लिए जाने एवं उसकी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने की जो प्रारम्भिक आपत्तियाँ प्रकट की गई है, का इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनाँक 23.07.2019 के द्वारा निस्तारण कर दिया गया था तथा अप्रार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध कोई चाराजोही नहीं की गई है ऐसे में अब उन पर पुनश्च सुनवाई एवं निष्कर्ष दिए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

4. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ के लिए गए नमूना को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर में जाँच उपरान्त रिपोर्ट दिनाँक 17.06.2015 में प्राकृतिक रंग केरामल मिश्रित किए जाने के फलस्वरूप अवमानक पाया गया है। इस संबंध में अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अप्रार्थी के उत्पाद अनुमोदन दिनाँक 09.07.2013 में बिन्दु संख्या 5 में मेगी 2 मिनिट मसाला नूडल/ मेगी हंगरू के अनुमोदन में टेस्ट मेकर में केरामल एवं अनुज्ञात प्राकृतिक रंग को मिलाया जाना अनुमत किया है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के प्रतिष्ठान से जो नमूना लिया गया है उसका उत्पाद नाम मेगी इन्स्टेन्ट नूडल है, जिसका अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत उत्पाद अनुमोदन (Product Approval) से मेल नहीं खाता है। ऐसे में हस्तगत प्रकरण में खाद्य उत्पाद के नमूना में पाए गए रंग एवं केरामल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण की ओर से अनुमत होना नहीं माना जा सकता है।

5. प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 5 के उत्पाद को खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत मिथ्याछाप होना बताया है। उक्त प्रावधान का अवलोकन करने से पाया जाता है कि किसी पैकेट में यदि कोई कृत्रिम रंग, स्वाद अथवा रासायनिक परिरक्षक समाहित किया जाता है तो उसका प्रख्यापन पैकेट पर स्पष्ट रूप से किया जाना आवश्यक है तथा उक्त प्रख्यापन के अभाव में खाद्य उत्पाद मिथ्याछाप की श्रेणी में माना जावेगा। अप्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:47:58 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब मे प्रकट किया है कि मेगी नूडल टेस्ट मेकर सहित एक एकल एवं सम्मिलित उत्पाद होने से इसे मिथ्याछाप होना नहीं माना जा सकता है। मेगी नूडल के पैकेट पर इसके आन्तरिक भाग में खाद्य पदार्थ के साथ रखे गए टेस्ट मेकर के पाउच की सामग्री का पृथक से पाउच पर उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि उत्पाद के बाहरी पैकिंग पर मुद्रित लेबल में उसका उल्लेख कर दिया गया है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) विनियम 2011 के अनुच्छेद 2.2.2 का अवलोकन करने से पाया जाता है कि लेबलिंग के सामान्य उपबंधों के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि प्रत्येक खाद्य पैकेट पर उसके अन्दर समाहित सामग्री का पूर्ण विवरण मुद्रित किया जाना आवश्यक है। ऐसे में अप्रार्थी का यह कथन कि उसके द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मेगी नूडल्स के बाहरी पैकेट पर टेस्ट मेकर की सामग्री का विवरण अंकित किया गया है, अधिनियम के उक्त प्रावधान की पूर्ति नहीं करता है क्योंकि उपभोक्ता के समक्ष जो पैकेट उपभोग के समय खुलता है उसे प्रयोग में लेने से पूर्व उसकी सामग्री का ज्ञान कराया जाना आवश्यक है। इस आधार पर मसाला टेस्ट मेकर में जो खाद्य सामग्री पाई गई है उसका उसके पाउच पर अंकन नहीं किया जाना अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। लिहाजा उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध जुर्माना का अधिरोपण उत्पाद की व्यापक बिक्री एवं उस से प्रभावित होने वाले उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को मध्यनजर रखा जाना विधि अनुकूल रहेगा। इसके साथ ही अप्रार्थी संख्या 5 के इस उत्पाद की सामग्री का उसके पैकेट पर प्रख्यापन नहीं करने से उपभोक्ताओं के प्रति मिथ्यारूपण भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:47:58 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

जुर्माने की मात्रा को निर्धारित करने का आधार रहेगा। अप्रार्थी संख्या 5 नेस्ले इण्डिया जिसका उक्त खाद्य उत्पाद व्यापक रूप से राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोग किया जाता है तथा इसकी इस व्यापकता से अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर जो अनुचित रूप से फायदा प्राप्त किया जा रहा है, को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों एवं उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु कठोर बाध्यकारी प्रावधान करता है तथा इसका किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा उल्लंघन किए जाने पर उसे भारी जुर्माने से दण्डित किया जाकर अवमानक एवं छद्म खाद्य उत्पाद निर्माताओं को हतोत्साहित करने हेतु कड़ा संदेश दिया जाना भी आवश्यक है। लिहाजा अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 2,00,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

7. आदेश आज दिनांक 30.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:47:58 IST
Reason: SelfAttested